"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2014—फाल्गुन 9, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्रमांक ई-01-04/2014/एक/2.—श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से. (2000), कलेक्टर, जशपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, मंत्रालय (सामान्य प्रशासन के विकल्प पर) पदस्थ किया जाता है.

2. श्री रामसिंह ठाकुर, भा.प्र.से. (2000), कलेक्टर, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

3. श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), विशेष सचिव, वित्त एवं संचालक बजट को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

4. श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. (2002), कलेक्टर, बालोद को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम पदस्थ किया जाता है.

श्री अमृत कुमार खलखो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्रीमती ऋतु सैन, भा.प्र.से. (2003), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, सरगुजा पदस्थ किया जाता है.

6. श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003), कलेक्टर, रायपुर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, बिलासपुर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), कलेक्टर, सरगुजा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

8. श्री एन. के. शुक्ला, भा.प्र.से. (2004), संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, बालोद पदस्थ किया जाता है.

9. श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), उप सचिव, सहकारिता तथा संचालक उद्यानिकी को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, कृषि विपणन मण्डी बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

10. श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (2007), अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर एवं पदेन अतिरिक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जशपुर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्रमांक एफ-1/03/भापुसे/एक-14/2012.—श्री ए. एन. उपाध्याय, भापुसे (1985), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी गृह विभाग एवं पदेन सचिव, गृह विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अशोक जुनेजा, भापुसे (1989), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी गृह विभाग एवं पदेन सचिव, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2009), आयुक्त नगर निगम, बिलासपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री नरेन्द्र दुग्गे, रा.प्र.से., आयुक्त, नगर निगम, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—श्री ओमप्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2005), संचालक, जनसंपर्क तथा पदेन उप सचिव, जनसंपर्क विभाग को केवल पदेन उप सचिव, जनसंपर्क विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 1-2/2013/1/5.—राज्य शासन, एतद्द्वारा सोमवार, दिनांक 31 मार्च, 2014 को "चैतीचांद" के अवसर पर, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में केवल शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अवकाश घोषित करता है.

2. उक्त अवकाश के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी, अर्थात् उक्त दिनांक को निर्धारित परीक्षाएं यथावत होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 01-32/साप्रवि/भापुसे/2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री के. के. अग्रवाल, भा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, छ.ग. रायपुर को स्वयं के ईलाज हेतु दिनांक 29-08-2013 से 06-11-2013 तक (कुल 70 दिवस) का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 07-11-2013 से 13-12-2013 तक (कुल 37 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15-12-2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री अग्रवाल, को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. अग्रवाल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, छ.ग. रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्रमांक 137/116/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रायपुर को दिनांक 20-01-2014 से 22-02-2014 तक (कुल 34 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19 जनवरी एवं 23 फरवरी 2014 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, पुनः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण) रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण) रायपुर छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण) रायपुर का चालू कार्य श्री सुजीत कुमार, (रापुसे) सेनानी, 13वीं वाहिनी, छसबल, बांगो, कोरबा अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुंद गजभिये, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्रमांक 1269/4315/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्त श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, सरगुजा (अम्बिकापुर) (छ.ग.) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 04-10-2012 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक सरगुजा (अम्बिकापुर) नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिये उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्रमांक 1271/4315/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्त श्री आशीष गुप्ता, सरगुजा (अम्बिकापुर) (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 04-10-2012 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सरगुजा (अम्बिकापुर) नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिये उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2014

क्रमांक 625/2968/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, श्री विद्या सागर अग्रवाल, नोटरी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) के स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनका नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2014

क्रमांक 635/3565/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नूतनसिंह राठौर, नोटरी, कोण्डागांव जिला-बस्तर थाना जगदलपुर (छ.ग.) का स्वर्गवास होने के कारण उनका नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

FINANCE DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Raipur

Raipur, the 24th January 2014

No. 1599/B-4/4/2013.—Government of Chhattisgarh hereby notifies the sale of Chhattisgarh Government Stock (Securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs. 700 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. 450/L-1/2/B-4/4/07 dated July 20, 2007 of Government of Chhattisgarh.

Object of the Loan

1. (i) The Loan is required for Financing Development Schemes.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this Loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notificicition No. 450/L-1/2/B-4/4/07 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price format.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securirties of the General Notification (Annexure-II).

Place and date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai 400001, on January 29, 2014. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on January 29, 2014.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 12.00 P.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on January 30, 2014.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payment on January 30, 2014 before close of banking hours by means of cash, bankers cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/Nagpur or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/Nagpur.

Tenure

7. The Stock will be of 10 year tenure. The tenure of the Stock will commence on January 30, 2014.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on January 30, 2024.

Rate of Interest

9, The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on July 30 and January 30.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The Stock will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Additional Chief Secretary.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 9-1/2014/16.—छत्तीसगढ़, औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि जिला-दुर्ग के स्थानीय सुलहकार (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग स्वतंत्र श्रमिक संघ (इंटक) हथखोज रोड, छावनी, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 01/सी.जी.आई.आर./2012

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2014

चूंकि मैनेजिंग डायरेक्टर, सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग स्वतंत्र श्रमिक संघ (इंटक) हथखोज रोड, छावनी, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा किया जा रहा है तथा मैनेजिंग डायरेक्टर, सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है और इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़, औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता है.

अनुसूची

(1) क्या सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड, भिलाई में कार्यरत् श्रमिकों को वर्ष 2011-12 के लिये 20% की दर से बोनस एवं 3600/- रुपये प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता है ? यदि हां तो आवेदक किस सहायता के पात्र हैं तथा इस संबंध में अनावेदक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 9-2/2014/16.—छत्तीसगढ़, औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि जिला-दुर्ग के स्थानीय सुलहकार (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग स्वतंत्र श्रमिक संघ (इंटक) हथखोज रोड, छावनी, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, एस.ए.व्ही. स्टील्स लिमिटेड, प्लाट नं.-136 ए/137 बी, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 02/सी.जी.आई.आर./2012

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2014

चूंकि मैनेजिंग डायरेक्टर, एस.ए.व्ही. स्टील्स लिमिटेड, प्लाट नं.-136 ए/137 बी, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग स्वतंत्र श्रमिक संघ (इंटक) हथखोज रोड, छावनी, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा किया जा रहा है तथा मैनेजिंग डायरेक्टर, एस.ए.व्ही. स्टील्स लिमिटेड, प्लाट नं.-136 ए/137 बी, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है और इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़, औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता है.

अनुसूची

(1) क्या एस.ए.व्ही. स्टील्स लिमिटेड, भिलाई में कार्यरत् श्रमिकों को वर्ष 2011-12 के लिये 12% की दर से बोनस प्राप्त करने की पात्रता है ? यदि हां तो आवेदक किस सहायता के पात्र हैं तथा इस संबंध में अनावेदक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 2-134/सात-2/2013.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रायपुर संभाग की सीमाओं को परिवर्तित करती है तथा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट जिलों को समाविष्ट करते हुए, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार नवीन राजस्व संभाग दुर्ग का सृजन करती है, जिसे उक्त संहिता की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, जो कि राजपत्र में इसके

प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	वर्तमान संभाग (2)	नवनिर्मित संभाग (3)	नवीन संभाग में सम्मिलित जिले (4)
1.	रायपुर	दुर्ग	(1) दुर्ग (2) बालोद (3) बेमेतरा (4) राजनांदगांव (5) कबीरधाम

No. F-2-134/seven-2/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, alters the limits of Raipur Division and creates new Revenue Division Durg as in column (3) comprising the Districts specified in column (4) of the Schedule below, the same having been previously published, as required under proviso to sub-section (2) of the Section 13 of the said Code, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Present Division (2)	New Division Created (3)	Districts included in the new Division (4)
1.	Raipur	Durg	(1) Durg (2) Balod (3) Bemetara (4) Rajnandgaon (5) Kabirdham

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 01-01/2014/स्था./चौबीस.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम, 2001 के नियम 4 के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य अधिमान्यता समिति का गठन करता है :—

1. श्री जोसेफ पी. जॉन, सहायक संपादक, टाईम्स आफ इंडिया, रायपुर
2. श्री श्याम वेताल, संपादक, नवभारत, रायपुर
3. श्री तुषार कांति बोस, संपादक, दैनिक दण्डकारण्य समाचार, जगदलपुर
4. श्री हिमांशु द्विवेदी, प्रबंध संपादक, हरिभूमि, रायपुर
5. श्री रूचिर गर्ग, संपादक, दैनिक नयी दुनिया, रायपुर
6. श्री आनंद पाण्डेय, संपादक, दैनिक भास्कर, रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्रमांक/365/एफ-02-50/2007/14-2.—छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक 5229 एफ-02-50/कृषक कल्याण/2011/14-2 दिनांक 23-11-2011 द्वारा श्री पुरन्दर मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद् रायपुर में आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया गया था. श्री पुरन्दर मिश्रा, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद् रायपुर द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2014

क्रमांक 278/एफ-1-64/31/एस-2/निर्वाचन/2013.—छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 5 (3) (यथा संशोधित) में छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2013) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य के समस्त जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के अध्यक्षों तथा सदस्यों की पदावधि में उनकी पदावधि के अवसान की तारीख 10 फरवरी 2014 से एक वर्ष अथवा इनका निर्वाचन सम्पन्न होने के दिनांक तक (इनमें से जो भी पूर्व हो) की कालावधि के लिए वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 25-7/2008/नौ/55.—छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय तम्बाकु नियंत्रण कार्यक्रम और सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियम) अधिनियम, 2003 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु अंतर-विभागीय समन्वयन को बढ़ाने के लिए निम्नानुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन करता है :—

क्र. स. (1)	पदनाम (2)	समिति में पद का नाम (3)
1.	मुख्य सचिव, छ.ग. शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा मिशन संचालक, एनआरएचएम, छ.ग.	सदस्य सचिव
5.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग	सदस्य
6.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग	सदस्य

(1)	(2)	(3)
7.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, जनसम्पर्क विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, विधि विभाग	सदस्य
9.	सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
10.	सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग/आयुक्त, श्रम	सदस्य
11.	कलेक्टर, रायपुर एवं बिलासपुर जिला	सदस्य
12.	रेल विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
13.	समाज सेवी संगठन जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य/तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत हो :— (अ) जन स्वास्थ्य सहयोग, ग्राम गनियारी, जिला बिलासपुर छ.ग. (ब) राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर छ.ग.	सदस्य

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी, राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए सदस्य-सचिव को सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम और सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियम) अधिनियम, 2003 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और समिति के सदस्यों की भूमिका का त्रैमासिक मूल्यांकन और पर्यवेक्षण निम्नानुसार करेगी :—

क्र. स. (1)	विभाग/एजेंसी का नाम (2)	दायित्व (3)
1.	अपर मुख्य सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	1. बीड़ी रोलर्स के लिये वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम सुनिश्चित करना. 2. ग्रामीण क्षेत्रों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा COTPA-2003 का क्रियान्वयन कराना.
2.	अपर मुख्य सचिव/सचिव छ.ग. शासन, वित्त विभाग.	1. समस्त तंबाकू उत्पादों पर कर लगाना. 2. तंबाकू उद्योग द्वारा अवैध व्यापार एवं कर अपवंचन पर नियंत्रण सुनिश्चित करना.
3.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अथवा मिशन संचालक, एनआरएचएम. छ.ग.	राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण, समीक्षा तथा पर्यवेक्षण.
4.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग	1. तंबाकू कृषकों हेतु वैकल्पिक फसल का विकल्प उपलब्ध कराना. 2. कृषकों के बीच में तंबाकू की खेती से स्वास्थ्य में उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता लाना.
5.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, जनसम्पर्क विभाग	1. COTPA-2003 अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर तंबाकू एवं उत्पादों से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में प्रचार अभियान चलाकर जागरूकता लाना. 2. प्रचार प्रसार अभियान हेतु सामग्रियों का निर्माण कर स्थानीय आयोजनों, मेलों, राज्य प्रसार-प्रसार अभियान में प्रदर्शन सुनिश्चित कराना. 3. स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान हेतु स्थानीय प्रचार-प्रसार सामग्रियों का निर्माण कर प्रदर्शन सुनिश्चित कराना.

(1)	(2)	(3)
6.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, विधि विभाग	COTPA-2003 के क्रियान्वयन हेतु विधि संबंधित मुद्दों पर राज्य स्तरीय समिति को सलाह देना.
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग.	1. COTPA-2003 अधिनियम की समस्त प्रावधानों को लागू करने हेतु राज्य प्रमुख पुलिस विभाग को निर्देशित करना. 2. मासिक अपराध समीक्षा बैठक में COTPA-2003 अधिनियम एवं उसके उल्लंघन की निरंतर समीक्षा कर संबंधित आंकड़े एकत्र कराना. 3. सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को तंबाकू मुक्त सुनिश्चित कराना. 4. राज्य परिवहन की बसों अथवा इसके परिसर में तंबाकू उत्पादों जैसे :— पानमसाला, गुटखा आदि का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर नियंत्रण सुनिश्चित करें. 5. परिवाहन विभाग की सम्पत्तियां जैसे :— बस पैनल, बस स्टेण्ड, बस टिकट आदि पर तंबाकू विरोधी संदेशों का प्रदर्शन सुनिश्चित कराना.
8.	सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	1. समस्त विद्यालयों में तंबाकू मुक्त विद्यालय के दिशा–निर्देशों का क्रियान्वयन कराना. 2. समस्त विद्यालय परिसरों को तंबाकू मुक्त सुनिश्चित करना. 3. तंबाकू के प्रयोग से होने वाले हानिकारक प्रभावों को विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में समावेश करना.
9.	सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग/आयुक्त, श्रम	1. सभी पंजीकृत कारखानों में निर्मित तंबाकू उत्पादों में स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी सचित्र मुद्रित करना सुनिश्चित कराना. 2. समस्त बीड़ी रोलर्स को बीड़ी रोलिंग से होने वाले स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाना. 3. बीड़ी रोलर्स क लिये वैकल्पिक आजीविका हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना.
10.	कलेक्टर रायपुर एवं बिलासपुर जिला	जिला स्तर पर क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालना एवं जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व करना.
11.	रेल विभाग के प्रतिनिधि	1. सभी रेल्वे प्लेटफार्म, परिसर एवं ट्रेनों को तंबाकू मुक्त सुनिश्चित करना. 2. सभी रेल्वे प्लेटफार्म, परिसर एवं ट्रेनों में गुटखा, पानमसाला अन्य तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना. 3. रेल संपत्ति जैसे :— ट्रेनों के पैनल, प्लेटफार्म, रेल्वे टिकट आदि पर तंबाकू विरोधी संदेशों का प्रदर्शन का सुनिश्चित कराना.
12.	समाज सेवी संगठन जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य/तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत् हों :— (अ) जन स्वास्थ्य सहयोग, ग्राम गनियारी, जिला बिलासपुर छ.ग. (ब) राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर छ.ग.	1. अपने कार्यक्रमों में तंबाकू नियंत्रण उपायों को एकीकृत करना. 2. तंबाकू नियंत्रण नियमों के उल्लंघन पर नजर रखना एवं अधिकारियों/संचालन समिति के संज्ञान में लाना. 3. जनजागरूकता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित करना. 4. तंबाकू प्रयोग के विरोध में जागरूकता पैदा करने हेतु तथा COTPA-2003 के क्रियान्वयन हेतु सामुदायिक संगठनों, पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के साथ कार्य करना.

No./F 25-7/2008/Nine/55.—Chhattisgarh is pleased to State Level Coordination Committee (SLCC) with the following to enhance inter-departmental coordination for successful Implementation of National Tobacco Control Programme and the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act (COTPA), 2003 in the state of Chhattisgarh.

S. No. (1)	Designation (2)	Status (3)
1.	Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh	Chairman
2.	Additional Chief Secretary/Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Govt. of Chhattisgarh.	Member
3.	Additional Chief Secretary/Secretary, Department of Finance, Govt. of Chhattisgarh.	Member
4.	Principal Secretary/Secretary, Department of Health & Family Welfare, Govt. of Chhattisgarh or MD NRHM, Chhattisgarh.	Member Secretary
5.	Principal Secretary/Secretary, Department of Home, Jail & Transport, Govt. of Chhattisgarh.	Member
6.	Additional Chief Secretary, Department of Agriculture, Govt. of Chhattisgarh.	Member
7.	Principal Secretary, Department of Public Relations, Govt. of Chhattisgarh	Member
8.	Principal Secretary, Department of Law, Govt. of Chhattisgarh.	Member
9.	Secretary Department of School Education, Govt. of Chhattisgarh	Member
10.	Secretary/Commissioner Department of Labour, Govt. of Chhattisgarh or his nominee.	Member
11.	Collector Raipur and Bilaspur Districts	Member
12.	Representative from Department of Railways	Member
13.	Civil Society Organizations working on Health/tabacco control in Chhattisgarh :— (A) Jan Swasthaya Sahyog, Vill.-Ganiyari, Bilaspur (B) State Health Resource Center, Raipur	Members

The State Nadal Officer, NTCP will extend support to the Member-Secretary in convening the meeting of the S.L.C.C.

The State level Coordination Committee will quarterly evaluate and supervise different activities relating to NTCP and COTPA and the role of Members of the Committee as per Operational Guideling, National Tobacco Control Programme, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India are as follows :—

Sl. No. (1)	Departments/Agencies (2)	Roles (3)
1.	Additional Chief Secretary/Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Govt. of Chhattisgarh.	1. Alternative Livelihood Programme for the Bidi Rollers. 2. Enforcement of COTPA through the 3-tire elected Panchayati Raj Institution in the rural areas
2.	Aditional Chief Secretary/Secretary, Department of Finance, Govt. of Chhattisgarh.	1. Administration and harmonization of Tax on all tobacco Products. 2. Ensure reduction in illicit trade and tax evasion by tobacco industry.
3.	Principal Secretary/Secretary, Department of Health & Family Welfare, Govt. of Chhattisgarh or MD NRHM, Chhattisgarh.	1. Nodal Secretary for convening the meeting. 2. Regular monitoring, review and supervision of National Tabocco Controal Programme.
4.	Principal Secretary/Secretary Department of Home, Jail & Transport, Govt. of Chhattisgarh.	1. Direct the State Police Heads to enforce all the Provisions under COTPA. 2. Regular review of COTPA implementation in the monthly crime review meetings and regular collection of violation related data. 3. All public transport vehicles to be Smokefree/Tobacco-free.

(1)	(2)	(3)
		4. No direct/indirect advertisement of tobacco products like gutkha, Pan masala on state transport, bus panels and its premises. 5. Display of anti-tobacco massages on the Transport department properties including bus panels, bus stands. Bus tickets etc.
5.	Principal Secretary/Secretary, Department of Agriculture, Govt. of Chhattisgarh.	1. Alternative cropping options for Tobacco Growers. 2. Awareness generation among the farmers about the harmful effects of tobacco growing as well as use.
6.	Principal Secretary, Department of Public Relations, Govt. of Chhattisgarh.	1. State wide Public awareness campaigns on harmful effects of tobacco use and provisions under COTPA. 2. Develop awareness campaign materials for display at local events. Melas, State IEC campaigns. 3. Assist in development/adptation of local IEC campaign materials for display and dissemination at local events, melas. Local IEC campaigns.
7.	Principal Secretary, Department of Law, Govt. of Chhattisgarh.	1. Advise the State level Committee on legal issues pertaining implemention of COTPA.
8.	Secretary, Department of School Education, Govt. of Chhattisgarh.	1. Implementation of tobacco-free School guidelines in all Schools. 2. Make all Schools tobacco-free premises. 3. Inclusion of harmful effects of tobacco use in the School curriculum.
9.	Secretary/Commissioner Department of Labour, Govt. of Chhattisgarh.	1. Ensure that all tabacco Products Manufactured in registered factories print the Pictorial health Warnings. 2. Sensitization of Bidi Rollers about the health hazards of bidi rolling. 3. Vocational traning to bidi rollers for alternative livelihood.
10.	Collector, Raipur & Bilaspur districts	Represent District Administration and highlight the concerns of the implemention at District level.
11.	Representative from Department of Railways.	1. All the Railway Platforms, its Premises and trains to be tobacco free. 2. No sale of gutkha, Pan masala and other tobacco products on railway platforms and trains. 3. Display of anti-tobacco messages on the railway properties including train panels, platfrom, railway tickets etc.
12.	Civil Society Organizations working on Health/tobacco control in Chhattisgarh :— (A) Jan Swasthaya Sahyog, Vill.-Ganiyari, Bilaspur. (B) State Health Resource Center, Raipur	1. Integrate tobacco Control in all their ongoing interventions. 2. Monitor violations of tobacco control laws and bring them to the notice of Authorities/Steering committee. 3. Collaborate with State Government/Local Government on awareness generation. 4. Work with the Communities and CBOs, Panchayat Raj Institutions and Urban Local Bodies to create awareness against tobacco use and strenghen the implementation of COTPA.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला कांकेर के पखांजूर एवं नरहरपुर निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2014

क्रमांक 199/4967/2011/10-1/वन.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3552-53/4967/2011/10-1/वन, दिनांक 23-11-2011 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एशोसिएशन की धारा 84 (ia) निहित प्रावधानों के अंतर्गत, श्री विजय नाथ सिंह, पूर्व विधायक, लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा को, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर का "अध्यक्ष" नियुक्त किया गया था.

2. श्री विजय नाथ सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 23-10-2013 से स्वीकार किए जाने के कारण अध्यक्ष का पद, रिक्त घोषित करते हुए, राज्य शासन द्वारा, श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को, तात्कालिक रूप से अध्यक्ष छ.ग. राज्य वन विकास निगम, रायपुर का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. राठौर, संयुक्त सचिव.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 05-01/2007/43.—छ.ग. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक 05-01/2007/43, दिनांक 21-02-2008 द्वारा श्री खूबचंद पारख को बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में उपाध्यक्ष पद पर आगामी आदेश पर्यन्त नामांकित किया गया था.

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उक्त पद पर श्री खूबचंद पारख, उपाध्यक्ष, की नियुक्ति एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाकर उक्त पद को रिक्त घोषित किया जाता है. तात्कालिक रूप से प्रभार विभाग के वरिष्ठ सचिव को सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 15 जनवरी 2014

प्र. क्र. 01 अ/82, वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	घोंठा प. ह. नं. 08	0.154	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	घोघरा-सिरमी मार्ग पर हॉफ नदी पर पुल मय पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 16 जनवरी 2014

क्रमांक/04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	रामपुर प. ह. नं. 12	0.30	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	गोपालभैना-सुरकी मार्ग पर हाफ नदी पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 16 जनवरी 2014

क्रमांक/06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	पौंसरी प. ह. नं. 43	1.34	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	तुलसी-पौंसरी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 4 फरवरी 2014

क्रमांक/05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	रनबोड़ प. ह. नं. 5/7	0.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)	बेलदहरा जलाशय योजना के डूबान में प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक 02/क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	बछौद प. ह. नं. 10	6.19	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक 51/अनु.अधि./भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प. ह. नं. 17	1.531	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चांपा संभाग-चांपा (छ.ग.)	सरहर कुम्हारीकला मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्रमांक 09/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लाखासार	0.020	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	घोघा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत लाखासार माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्रमांक/4921/भू.अ.प्र.क्र./01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	भीमाटोला प.ह.नं. 46	24.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद.	मोहड़ जलाशय योजना के पूर्ण डुबान ग्राम कुदारी दल्ली के पुनर्बसाहट हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्रमांक/4923/भू.अ.प्र.क्र./02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	पापरा प.ह.नं. 29	0.62	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	पापरा-परसदा मार्ग में गेरियान नाला पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्रमांक/4925/भू.अ.प्र.क्र./02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	पापरा प.ह.नं. 29	0.62	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	पापरा-परसदा मार्ग में गेरियान नाला पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	रामपुर प.ह.नं. 27	0.033	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग.	रामपुर एनीकट के निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्रमांक 17/भू-अर्जन/2014 प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	चंगोरी प.ह.नं. 33	2.922	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बरॉज निर्माण संभाग क्रमांक-2 चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोण्डागांव
- (ख) तहसील-फरसगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भूमका, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.882 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
14/1	0.113
31, 32/1	0.056
13/7	0.036
113/3, 15/2, 19/2, 20	0.146
29/79, 75/19	0.073
29/12, 30, 75/4	0.101
29/11, 29/34	0.198
29/25	0.097
योग	0.820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भूमका नाला सेतु कि.मी. 1/6 भूमका-आलोर मार्ग के पहुंच मार्ग एवं सेतु निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. धुर्वे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./14/अ-82/वर्ष 2012-13/2274.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-शंकर नगर, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-730 वर्गमीटर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (वर्गमीटर में) (2)
41/12, 121/1	40
121/3	60
41/26, 418/5, 415/5	10
41/25, 418/4, 416/4, 415/4	90
41/28, 418/9	330
417/2, 418/6	100
417/3, 418/7	100
योग	730

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-विधान सभा बलौदाबाजार बाईपास मार्ग चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक 21/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बाकीघाट, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.63 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	300/4	0.21
	302/4	0.21
	300/5	0.30
	304	0.51
	300/3	0.30
	302/3	0.21
	300/1	0.20
	302/1	0.20
	300/2	1.20
	3002/2	0.83
	306	1.59
	301	0.87
योग	12	6.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - लारीपारा व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2014

क्रमांक 21/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-चपोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	4/2	0.38
	6	0.10
योग		0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आर.एम.के.के. मार्ग निर्माण पूरक प्रकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

संशाधित अधिसूचना

क्रमांक 19/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रतनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
6611	0.50
योग	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महामाया मंदिर रतनपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 13 जनवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-मुरली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.60 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
89/1	0.45
99/2	0.30
99/1, 100	0.42
780, 792	1.20
793/3	0.50
801/2	0.30
783	0.70
793/2, 793/4	0.60, 0.50
803/6	2.60
803/4	0.60
802	0.92
789	2.51
योग 12	11.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटामुड़ा जलाशय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 16 जनवरी 2014

क्रमांक 1271 प्र-1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-पड़कीभाट, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100	0.40
102	0.01
118	0.26
119	0.70
138	0.12
139	0.28
योग	1.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बालोद पड़कीभाट बायपास मार्ग में मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 17 जनवरी 2014

भू-अर्जन प्र. क्र. 104 अ-82/वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बालोद
   (ख) तहसील-गुण्डरदेही
   (ग) नगर/ग्राम-पैरी, प.ह.नं. 29
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42/1	0.05
योग	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पैरी-चौरेल मार्ग पर तान्दुला नदी में पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 17 जनवरी 2014

भू-अर्जन प्र. क्र. 105 अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बालोद
   (ख) तहसील-गुण्डरदेही
   (ग) नगर/ग्राम-चौरेल, प.ह.नं. 26
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
816/1	0.07
योग	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पैरी-चौरेल मार्ग पर तान्दुला नदी में पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./प्र.क्र. 04/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-गरियाबंद
(ग) नगर/ग्राम-नांगाबुड़ा, प.ह.नं. 54
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1595/2	0.03
	1597	0.03
	1601	0.23
	1602/1	0.19
	1602/7	0.15
	1602/2	0.19
	1602/10	0.34
	1602/4	0.08
	1602/5	0.30
	1602/6	0.14
	1602/9	0.13
	1610	0.16
	1611	0.14
योग	13	2.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नहरगांव-नागाबुड़ा-बारूला मार्ग के कि.मी. 5/6-8 पर निर्माणाधीन पैरी नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्रमांक/क/वा./भू.अ./प्र.क्र. 02/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-गरियाबंद
(ग) नगर/ग्राम-नहरगांव, प.ह.नं. 54
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1707	0.32
	1710/1	0.13
योग	2	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नहरगांव-कोचबाय मार्ग के कि.मी. 5/6-8 पर निर्माणाधीन पैरी नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्रमांक/क/वा./भू.अ./प्र.क्र. 01/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम-कोचबाय, प.ह.नं. 20/43

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
733	0.10
1416	0.07
1422	0.03
1423	0.29
702	0.09
706	0.08
707	0.03
730	0.04
734	0.13
766	0.10
1417/3	0.05
1417/2	0.05
1414	0.07
1418	0.03
1419/3	0.04
1419/2	0.05
1419/1	0.04
1412	0.10
1415	0.11
732	0.05
1408	0.10
1413	0.10
1380	0.45
1407	0.30
1420	0.07
731	0.04
735	0.02
736	0.02
701	0.10
1421	0.05
योग 30	2.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गरियाबंद-नहरगांव-कोचबाय मार्ग के कि.मी. 5/6-8 पर निर्माणाधीन पैरी नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत कुमार पहारे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ.ग.)

बेमेतरा, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्रमांक/581/वि.लि. 01/स्था. अव./2014.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो अनुक्रमांक 04 के नियम 08 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. बसवराजू एस. कलेक्टर बेमेतरा वर्ष 2014 हेतु बेमेतरा जिला के लिये निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

क्र.	स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	दिन	विशेष
1.	गणेश चतुर्थी	29 अगस्त 2014	शुक्रवार	सम्पूर्ण दिवस
2.	सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या	23 सितम्बर 2014	मंगलवार	सम्पूर्ण दिवस
3.	दीपावली का दूसरा दिन	24 अक्टूबर 2014	गुरुवार	सम्पूर्ण दिवस

बसवराजू एस.
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 29 नवम्बर 2013

क्रमांक 791/खलि/तीन-1/2013.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात्, आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रानीजरौद	28	सिमगा	88/1, 88/4 (निजी भूमि)	0.428 हेक्टर	भगवती मिनरल्स प्रो. हेमंतमल निवासी रानीजरौद तहसील सिमगा को दिनांक 23-8-2008 से 22-8-2013 तक स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा का अवधि समाप्त होने के कारण वर्तमान में क्षेत्र रिक्त है.

राजेश सुकुमार टोप्पो,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्रमांक/171/ख.लि. 02/2013.—गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग लाई जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठी में जलाकर उपयोग में लाये जाने वाला चूनापत्थर उत्खनिपट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदार का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा क्रमांक	रकबा (एकड़ में)	खजिन का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्रीमती श्वेता खण्डेलवाल प्रो. उषा मिनरल्स, गंजलाईन, राजनांदगांव	जोरातराई	राजनांदगांव	78/2-3-4, 79, 80, 81, 82, 84/2, 85/2, 86/2	4.15	चूनापत्थर	निजी	उत्खनिपट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण

टीप :— भूमि स्वामी की सहमति अनिवार्य है.

अशोक कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 24 जनवरी 2014

क्रमांक/646/वि.लि.-1/स्था./2014.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अमृत कुमार खलखो कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालोद वर्ष 2014 (कलेंडर) वर्ष के लिए बालोद जिले में निम्नलिखित पर्व/त्यौहार के लिए उल्लेखित तिथियों/दिनों के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र.	पर्व/त्यौहार का नाम	तिथि/माह	दिन	दिवस
1.	पोला	25 अगस्त 2014	सोमवार	सम्पूर्ण दिवस
2.	गणेश चतुर्थी	29 अगस्त 2014	शुक्रवार	सम्पूर्ण दिवस
3.	गोवर्धन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन)	24 अक्टूबर 2014	शुक्रवार	सम्पूर्ण दिवस

उपरोक्त घोषित स्थानीय अवकाश के दिनों में कोषालय/उपकोषालय यथावत खुले रहेंगे.

अमृत कुमार खलखो,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 21st January 2014

No. 63/Confdl./2014/II-3-2/2002.—Smt. Shyamwati Maravi, Civil Judge Class-II, in whose favour a certificate was issued in terms of Rule 11 (5) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 vide Registry Order No. 597/Confdl./2012/II-3-2/2002 dated 01-09-2012, is hereby confirmed in the Lower Judicial Service with effect from 17-12-2013.

Bilaspur, the 24th January 2014

No. 603/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri Santosh Thakur, Judicial Magistrate First Class, Baikunthpur, District Koriya (Baikunthpur) to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the Hon’ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 22nd January 2014

No. 553/L.G./2014/II-2-4/2004.—Shri Vinay Kumar Kashyap, the then Special Judge Under S.C & S.T. (P.A.) Act, Durg is hereby, granted earned leave for 05 days from 07-10-2013 to 11-10-2013 and permission to prefix holiday of 06th October, 2013 (Sunday) and suffix holidays of 12th, 13th, 14th, 15th & 16th October, 2013 (02nd Saturday, Sunday, Dashera festival & ID-Ul-Zuha respectively) along with permission to remain out of headquarters during the said period and earned leave for 04 days from 28-10-2013 to 31-10-2013 and permission to prefix holiday of 27th October, 2013 (Sunday) and suffix holidays of 01st to 05th November, 2013 (Deepawali holidays) along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 26-10-2013 till 31-10-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kashyap, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd January 2014

No. 554/L.G./2014/II-2-20/2005.—Shri M. P. Singhal, District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 02 days on 23-12-2012 & 24-12-2013 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singhal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 295 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd January 2014

No. 556/L.G./2014/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi, Judge, Familay Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 08 days from 03-01-2014 to 10-01-2014 and suffix holidays of 11th & 12th January, 2014 (02nd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd January 2014

No. 558/L.G./2014/II-2-18/2006.—Shri Ganpat Rao, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 08 days from 06-01-2014 to 13-01-2014 and permission to prefix holiday of 05-01-2014 (Sunday) & suffix holiday of 14-01-2014 (Milad-Un-Nabi) along with permission to remain out of headquarters from 05-01-2014 to 14-01-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rao, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd January 2014

No. 559/L.G./2014/II-2-15/2007.—Smt. Vimla Singh Kapoor, District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 09 days from 11-12-2013 to 19-12-2013 along with permission to remain out of headquarters during the said period and earned leave for 03 days 23-12-2013 & 25-12-2013 along with permission to remain out of headquarters 23-12-2013 till 25-12-2013.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Kapoor, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).